

संचिका संख्या.-12/प0क0(बजट)11-13/2018-  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

34(12)ब<sup>०</sup>

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
गया ।

विषय-

मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत-उपमुख्य  
शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा  
शिक्षा में मानव संसाधन उपशीर्ष-के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए केन्दांश के  
तहत कुल- 1995000/- ( उन्नीस लाख पनचानबे हजार ) रुपये मात्र अतिरिक्त  
आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,


उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत मांग सं0-20 विपत्र कोड सं0-  
20-2211001010205 में वित्तीय वर्ष-2018-19 के लिए केन्दांश के तहत कुल- 1995000/-  
(उन्नीस लाख पनचानबे हजार ) रुपये मात्र अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है ।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक-17.04.98 एवं 159 वि0 (2) दिनांक-  
20.03.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।
3. यह आवंटन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में कार्यारत एल0एच0भी0/ ए0एन0एम0 के ही वेतानादि भुगतान हेतु  
निर्गत किया जा रहा है ।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त एवं कार्यारत कर्मचारियों  
का ही वेतनादि का भुगतान करेंगे ।
5. चालू वर्ष के वेतन भुगतान सुनिश्चित कर ही आवंटित राशि से बकाया भुगतान किया जाएगा ।  
सेवानिवृति एवं न्यायादेश के आलोक में यदि वेतनादि भुगतान का मामला लम्बित हो तो सर्वप्रथम  
उपलब्ध आवंटन से भुगतान की कार्यवाई करेंगे । इकाई मदवार अद्यतन व्यय विवरणी के साथ  
संभावित अतिरिक्त आवंटन का इकाई मदवार अधियाचना विहित प्रपत्र में किया जाय ।
6. स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्रालय, भारत सरकार नई, दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र  
संख्या-एम0-11018/1/2006-FWD दिनांक-20.04.2006 के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष  
2005-06 से स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के अधीनस्थ ऐच्छिक कार्य कर्ताओं का मासिक मानदेय, किराये पर  
संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का मकान भाड़ा, आकस्मिकताएं (कार्यालय व्यय) का भुगतान RCH  
Flexible Pool से किया जाना है अतः इस हेतु प्रस्तुत आवंटन में राशि का प्रावधान नहीं किया  
जा रहा है। इसका भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया  
जायेगा ।
7. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए प्राप्त आवंटन  
से अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यकता अनुसार राशि  
का उप आवंटन अपने स्तर से करेंगे ।
8. इस राशि का व्यय मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण-केन्द्र प्रायोजित योजना-उपमुख्य  
शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में  
मानव संसाधन 20-2211001010205 उपशीर्ष के अन्तर्गत वहन होगा तथा चालू वित्तीय  
वर्ष-2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

9

9. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व की भांति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, पटना होंगे।
10. आवंटित राशि का जिला स्तर पर समेकित व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 वी तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराना तथा महालेखाकार कार्यालय से व्यय एवं प्राप्ति आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान अनिवार्य है।
11. निकासी-सह-व्ययन पदाधिकारी पत्र निर्गत होने के सात दिनों के अन्दर सभी कर्मियों के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह),

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक- 34(12) अ

स्वा0/पटना दिनांक 19/12/18

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट, शाखा, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख/अपर निदेशक (प0क0)/प्रशाखा पदाधिकारी-12 लेखा शाखा एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव ।

विपत्र कोड- 20-2211001010205

आवंटन (केन्द्रांश)

वित्तीय वर्ष-2018-19

व्यय सारांश

क्रमांक	इकाई व्यय	इकाई व्यय	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	शेष उपबंध
1	01 01	वेतन	1216058000	1215520000	95000	1215615000	443000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	1443116000	1442409000	100000	1442509000	607000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	138665000	137700000	100000	137800000	865000
4	01 05	परिवहन भत्ता	5546000	1400000	1700000	3100000	2446000
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	6378000	6330000	0	6330000	48000
6	01 07	अन्य भत्ता	4437000	4280000	0	4280000	157000
		योग वेतन एवं भत्ते	2814200000	2807639000	1995000	2809634000	4566000
7	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	490000		490000	10000
8	13 01	कार्यालय व्यय	1700000	1600000		1600000	100000
9	13 04	विद्युत प्रभार	3500000	3440000	0	3440000	60000
10	13 06	वर्दी पोशाक	9100000	3370000	0	3370000	5730000
11	28 01	व्यावसायिक विशेष सेवाएं	1000000	0	0	0	1000000
		कुल योग	2830000000	2816539000	1995000	2818534000	11466000

कुल योग-1995000 / - (उन्नीस लाख पनचानबे हजार) रुपये मात्र

34(12) अ  
19/12/18

19/12/18

सरकार के विशेष सचिव

विपत्र कोड- 20-2211001010205

मुख्य शीर्ष-2211 परिवार कल्याण  
लघु शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं  
उपशीर्ष-0205-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन

आवंटन (केन्द्रांश)  
वित्तीय वर्ष-2018-19

क्र. सं०	जिला का नाम	वेतन (01 01)	जी०या०भत्ता (01 03)	मकान किराया भत्ता (01 04)	परिवहन भत्ता (01 05)	चिकित्सा भत्ता (01 06)	अन्य भत्ता (01 07)	योग-वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06 01)	वर्दी/ पोशाक (13 06)	कार्यालय व्यय (13 01)	विद्युत प्रभार (13 04)	कुल योग- 2211001010 205	अभ्युक्ति
1	गया	95000	100000	100000	1700000	0	0	1995000	0		0	0	1995000	विभागीय पत्रांक-3425 दिनांक-03.11.2018 एवं पत्रांक-769 दि०-22.10.2018 के आलोक में समादेश याचिका सं०-14514 / 2018 शक्ति शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार वाद संबंध में उल्लेखित राशि आवंटित किया जाना है।
कुल योग													1995000	

कुल योग-1995000 / - (उन्नीस लाख पनचानबे हजार) रूपये मात्र  
34 (12) व  
19/12/18

19/12/18

सरकार के विशेष सचिव